FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0063 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/03/2026 11:57 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 29/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/03/2026 11:57:34 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** B.C.M.O. KARAYALAY GADRA ROAD, JILA BARMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNITA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GORDHANRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JAISINGDHAR, GADRA ROAD, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JAISINGDHAR, GADRA ROAD, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GAJENDRA SINGH		पिता:NATHU SINGH	1. WARD NO. 34,NEHRU NAGAR,BARMER,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर, विषय- रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्। महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मैं सुनीता एएनएम D/O गोरधनराम, ग्राम शहदाद का पार, तहसील गडरा रोड़, जिला बाड़मेर में कार्यरत हुं, मेरे द्वारा बमाह सितम्बर से दिसम्बर 2024 व मार्च 2025 की नियमित उपस्थित थी, मगर मेरे बी.सी.एम.ओ. डॉ. किशोर गडरा रोड़ द्वारा बमाह सितम्बर से नवम्बर 2024 व मार्च 20225 का वेतन नहीं दिया गया, जिसके बारे में मेरे को बीसीएमओ गडरा रोड़ एलडीसी गजेन्द्र से मिलकर बात करने को कहा, तब गजेन्द्र ने कहा कि आपकी उपस्थिति देरी से आई थी, इसलिए तनख्वाह समय से नहीं बन पाई, तब मैंने उनसे मेरी पूरी सैलेरी बनाने, पे मेनेजर पर मेरे मोबाईल नम्बर बदलने व सैलेरी स्लिप देने की मांग की तो उसने उपरोक्त राजकीय कार्य की ऐवज में मेरे से 40,000 रू. रिश्वत की मांग की, तब मैंने लम्बे समय से सैलेरी नहीं मिलने का बहाना कर इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करने में असमर्थता जाहिर की, तब उसने कहा पहले पैसे दोगे तो ही सैलेरी बनेगी, तब मैंने कुछ कम करने का आग्रह किया तो उसने कहा कि 5 माह की सैलेरी बनानी हैं तो कम से कम 40 हजार देने ही पड़ेगें, इससे कम में बीसीएमओ साहब नहीं मानेगें। मैं मेरी सैलेरी बनवाने के वैद्य राज कार्य की ऐवज में श्री गजेन्द्र कनिष्ठ सहायक को रिश्वत नहीं देना चाहती, मैं उक्त कर्मचारी को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकड़वाना चाहती हूं। मेरी इनसे कोई रंजिस एंव पैसों की लेनदेन बकाया नहीं हैं, अतः रिपोर्ट कानुनी कार्यवाही हेतु पेश हैं।भवदीया -एस.डी.- -एस.डी.- गवाह श्री मनोजकुमार -एस.डी.- गवाह श्री राणमल सोनी सुनीता ANM शहदाद का पार हाल ANM गडरा रोड़. सुनीता पुत्री गोरधनराम जाति परमार निवासी जयसिंधर -एस.डी.- नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 25.07.2025 वक्त 0200 पी.एम. पर प्रार्थीया सुनीता पुत्री श्री गोरधनराम, जाति परमार, निवासी जयसिंधर, तहसील गडरा रोड़, जिला बाड़मेर हाल ए.एन.एम. ग्राम शहदाद का पार, मोबाईल नंबर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष मय संलग्न स्व-प्रमाणित आधार कार्ड के पेश कर बताया कि हमारा सुपरवीजन ब्लॉक चिकित्साधिकारी कार्यालय गडरा रोड़ द्वारा किया जाता हैं, एंव वहां पर मासिक उपस्थिति भेजने पर उनके द्वारा वेतन बनाकर मेरे बैंक खाते में ऑनलाईन जमा किया जाता हैं, मेरे द्वारा माह सितम्बर 2024 से माह मार्च 2025 तक की मेरी नियमित उपस्थिति कार्यालय बीसीएमओ गडरा रोड में जमा करवा दी, किन्तु फिर भी माह जनवरी व फरवरी 2025 को छोड़कर शेष माह सितम्बर से दिसम्बर 2024 व मार्च 2025 की मेरी सैलेरी अभी तक संबधित कार्यालय द्वारा नहीं बनाई गई हैं, जिस पर मैंने बी.सी.एम.ओ. कार्यालय में सैलेरी बनाने वाले बाबू श्री गजेन्द्र कनिष्ठ सहायक से मिलकर बात की तो उसने कहा कि आपकी उपस्थिति देरी से आई थी, इसलिए समय पर सैलेरी नहीं बनी, तब मैंने उनसे मेरी पूरी सैलेरी बनाने, पै-मेनेजर पर मेरे मोबाईल नंबर चैन्ज करने व सैलेरी स्लिप देने की मांग की तो उसने उपरोक्त राजकीय कार्य की ऐवज में मेरे से पहले 50,000 रू. रिश्वत की मांग की, तब मैंने लम्बे समय से सैलेरी नहीं मिलने का बहाना कर इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था करने में असमर्थता जाहिर की तो उसने 40,000 रू. की मांग करते हुए कहा कि पहले पैसे दोगे तो ही सैलेरी बनेगी, तब मैंने कुछ कम करने का आग्रह किया तो उसने कहा कि पांच महिने की सैलेरी बनानी हैं, इतने तो लगेगें ही, इससे कम में बीसीएमओ साहब मानेगें नहीं, इसलिए इससे कम नहीं होगा। मैं मेरी सैलेरी बनाने के वैध राजकार्य की ऐवज में श्री गजेन्द्र कनिष्ठ सहायक बी.सी.एम.ओ. कार्यालय गडरा रोड को रिश्वत नहीं देना चाहती हूं, मैं इसको रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहती हूं। मेरी इनसे कोई रंजिश एंव रूपये पैसों की लेनदेन बकाया नहीं हैं। बीसीएमओ डॉ. किशोर ने मेरे कभी भी रिश्वत की मांग नहीं की तथा न ही वो इस बारे में मेरे से कोई बात करेंगा, मेरे से वेतन बनाने वाले बाबू ने ही पैसे मांगे हैं एंव वो ही इस बारे में आगे बात करेगा। साथ ही पूछताछ पर परिवादिया ने यह भी बताया कि मैं सन् 2020 से महिला स्वास्थ्य कार्यकता (ए.एन.एम.) के पद पर बीसीएमओ गडरा रोड़ के अधीन की कार्यरत हूं, मैं नियमित उपस्थित रहकर फिल्ड में कार्य करती हूं, मेरी हाजरियां नियमित ब्लॉक कार्यालय में जमा करवाती हूं, फिर भी ब्लॉक कार्यालय से मेरी एंव अन्य कई स्टाफ की सैलेरी नियमित नहीं बनती हैं, पहले जान-बूझकर सैलेरी लेट करते हैं, एंव फिर एक साथ बनाने का मासिक सैलेरी के हिसाब दस हजार रू. प्रति माह की मांग कर चार-पांच महिनों की सैलेरी बनाने के 40-50 हजार रू. ब्लॉक कार्यालय में सैलेरी बनाने वाले बाबू एंव ब्लॉक चिकित्साधिकारी द्वारा ले लिये जाते हैं, लिहाजा परेशान होकर मैंने मेरे वाजिब एंव वैध कार्य कराने की ऐवज में रिश्वत की

मांग पर अकाउण्ट शाखा के बाबू व ब्लॉक चिकित्साधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु यह रिपोर्ट पेश की हैं, मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। रिपोर्ट परिवादिया ने स्वयं की हस्तलिखित होकर इस पर अपने स्व-कलमी हस्ताक्षरित कर पेश करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादिया की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आने से इस पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारंभ करते हुए प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय मालखाना से एच. एम. श्री सुराब हैड कानि. नं. 97 द्वारा निर्देशानुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया, जिन्हें ऑपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. से समझाईश की जाकर कार्यालय हाजा के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादिया से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादिया की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बाबत् एक बार पुनः परिवादिया व श्री बांकाराम कानि. को समझाईस की गई। ताबाद श्री बांकाराम कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु परिवादिया के साथ गडरा रोड़ जाने हेतु निर्देशित किया गया, इस दौरान परिवादिया ने बताया कि सैलेरी बनाने वाला बाबू गजेन्द्र की पोस्टिंग बी.सी.एम.ओ. कार्यालय शिव में हैं, जबकि बी.सी.एम.ओ. गडरा रोड़ में अकाउण्ट कार्य का अतिरिक्त प्रभार दे रखा हैं, एंव इसका निवास बाड़मेर में हैं, जहां से सप्ताह में दो या तीन दिन ही गडरा रोड़ आता हैं, आज मैंने पता किया तो वो गडरा रोड़ में नहीं हैं, ब्लॉक चिकित्साधिकारी स्वयं स्टाफ से रिश्वत की न तो बात करते हैं एंव न ही लेते हैं, बीसीएमओ साहब उक्त बाबू श्री गजेन्द्र के माध्यम से रिश्वत लेते हैं एंव गजेन्द्र बाबू के पास पैसे पंहुचते ही संबधित स्टाफ का हाथों हाथ काम हो जाता हैं, इसलिए रिश्वत राशि की मांग के संबध में श्री गजेन्द्र बाबू ही मेरे से बात करेगा, फिर वो जो तय करेगा उसमें बीसीएमओ साहब सहमत होकर काम कर देगें। अभी कल-परसों ही गजेन्द्र बाबू गडरा रोड बीसीएमओ ऑफिस में आकर गया था, इसलिए तीन-चार दिन तक उसके वापस आने की संभावना नहीं हैं, वो जब भी गडरा रोड ब्लॉक कार्यालय में आयेगा, उससे पूर्व मैं उससे मालुमात कर आपको अवगत करवाऊंगी, तब आप श्री बांकाराम कानि. को टेप रिकॉर्डर देकर गडरा रोड़ भेजना, इससे पहले वहां जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। जिस पर श्री बांकाराम कानि. को उक्तानुसार मुनासिफ हिदायत की जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड उक्त से पुनः प्राप्त कर मन् एएसपी स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। आईन्दा आरोपित श्री गजेन्द्र बाबू के बाड़मेर या शिव से गडरा रोड़ स्थित ब्लॉक कार्यालय में उपस्थित आने के संबध में पुख्ता मालुमात कर अवगत कराने बाबत् हिदायत कर परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. को एसीबी कार्यालय से फॉरिक किया गया। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। दिनांक 29.07.2025 को प्रातः परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. ने मोबाईल नंबर व से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कॉल कर बताया कि आज श्री गजेन्द्र बाबू ब्लॉक सी.एम.ओ. कार्यालय गडरा रोड़ में आयेगा एंव स्टाफ का बकाया अकाउण्ट कार्य करेगा, इस हेतु वो अभी बाडमेर से गडरा रोड के लिए निकलने वाला हैं, उसके गडरा रोड़ पंहुचने पर मैं ब्लॉक कार्यालय में जाकर आज उससे वार्ता करूंगी। जिस पर परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. को गडरा रोड़ में ही उपस्थित रहकर श्री बांकाराम कानि. के कॉल/पंहुचने का इन्तजार करने एंव तत्पश्चात श्री बांकाराम से सम्पर्क कर अग्रिम मांग सत्यापन कार्यवाही के संबध में आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात श्री बाकाराम कानि. को परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. से हुई वार्ता के संबध में अग्रिम रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड Master 4 GB सुपुर्द कर बाद मुनासिब हिदायत के जरिये राजकीय मोटर साईकिल रवाना रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गडरा रोड़ की तरफ किया गया। मन् अतिरिक्त अधीक्षक प्रकरण सं. 136/2025 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर स्थित श्रीमान एएजी साहब से विचार-विमर्श एंव अनुसंधान पत्रावली मय केश डायरी की तलबी होने से जोधपुर की तरफ रवाना हुआ एंव जोधपुर हाईकोर्ट पंहुचकर राजकार्य सम्पादन के दौरान दिन में रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु गये हुए श्री बांकाराम कानि. ने बमुकाम गडरा रोड़ से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल कॉल कर बताया कि निर्देशानुसार गडरा रोड पंहुच परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. से सम्पर्क कर उसे समझाईश कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर आरोपित श्री गजेन्द्र कनिष्ठ सहायक बी.सी.एम.ओ. कार्यालय गडरा रोड़ से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु उक्त कार्यालय में आरोपित के कक्ष में भेजा जाकर वार्ता करवाकर रिकॉर्डिंग करवाई गई, बाद रिकॉर्डिंग वार्ता के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। वार्ता के दौरान आरोपित बाबू द्वारा परिवादिया से उसके पांच माह की बकाया सैलेरी बनाने की ऐवज में डॉ. किशोर बी.सी.एम.ओ. के लिए पहले 40,000 रू. रिश्वत की मांग की, एंव परिवादिया के द्वारा कुछ कम करने का बार-बार आग्रह किया गया तो अन्त में 30,000 रिश्वती राशि लेने पर सहमत हुआ, एंव परिवादिया के पूछने पर उसने यह भी बताया कि पहले बीसीएमओ साहब को आपसे हुई वार्ता के अनुसार मैंने 50,000 रू. का बोला, फिर आपके कहेनुसार 40,000 रू. का बोला, अब आपसे हुई वार्ता के अनुसार मैंने 30,000 रू. आप द्वारा देने की बात उनके कान में डाल दी हैं, मैं उनसे आपका काम करवा दूंगा, आप पैसे जल्दी दो, ताकि डॉ. किशोर बी.

सी.एम.ओ. अपने सेट हैं, काम कर देगें, कल को कोई दूसरा बी.सी.एम.ओ. आ गया तो दिक्कत आयेगी, आरोपित ने वार्ता के दौरान ही परिवादिया को आगामी शुक्रवार, शनिवार व रविवार यानि कि दिनांक 01 से 03 अगस्त 2025 तक तीन दिन गडरा रोड़ में होने का कहकर शनिवार दिनांक 02.08.2025 को रिश्वती राशि के साथ गडरा रोड़ बुलाया हैं। यानि कि उक्त दिवस को रिश्वती राशि का लेन-देन तय हुआ हैं। साथ ही श्री बांकाराम कानि. ने बताया कि परिवादिया अपने बच्चे की देखभाल एंव रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु पीछे रूकना चाहती हैं, जिस पर उसे परिवादिया को रिश्वती राशि की व्यवस्था बाबत् हिदायत एंव समझाईश कर पीछे छोड़कर अविलम्ब मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय पंहुचने हेतु निर्देशित किया गया था। वार्ता के दौरान परिवादिया द्वारा भी मन् एएसपी से बात की जाकर श्री बांकाराम कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। श्री बांकाराम कानि. को गडरा रोड़ से चौकी हाजा पर पंहुच डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्राल सुदा मेमोरी कार्ड के अपनी स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसने उसी रात्रि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में पंहुचने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के स्वीच ऑफ सुदा पेश कर बताया था कि निर्देशानुसार मैं अभी कुछ देर पूर्व गडरा रोड़ से रवाना सुदा चौकी हाजा पर उपस्थित आया था, आज प्रातः निर्देशानुसार चौकी हाजा से रवाना होकर गडरा रोड़ पंहुच नियत स्थान ''शहीद स्मारक''के पास पंहुच परिवादिया से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि अभी मेरी बीसीएमओ कार्यालय में मीटिंग हैं, डेढ-दो बजे के करीब वहां से फॉरिक होकर आपसे मिलूंगी, जिस पर मैंने वहीं परिवादिया का इंतजार किया, बाद मीटिंग परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. अपने जानकार श्री पाबूराम के साथ पाबूराम के निजी वाहन स्वीफ्ट डिजायर नं. 25 BH1739H के गडरा रोड़ स्थित ''शहीद स्मारक'' के पास उपस्थित आई, जिन्हें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मैमोरी कॉर्ड के ऑन कर आरोपित श्री गजेन्द्र कनिष्ठ सहायक से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर रिकॉर्डिंग करने हेतु बी.सी.एम.ओ. कार्यालय में स्थित आरोपित के कक्ष में भेजा एंव मैं परिवादिया के जानकार श्री पाबूराम के साथ उसकी निजी कार में वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादिया की वापसी के इन्तजार में व्यस्त रहा। लगभग सवा घण्टे बाद परिवादिया वापिस मेरे पास आई, जिनसे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनी अभिरक्षा में लिया। परिवादिया ने बताया कि मेरे माह सितम्बर से दिसम्बर 2024 तक व माह मार्च 2025 कुल पांच महिने के बकाया सैलेरी बनाने की ऐवज में गजेन्द्र बाबू ने पहले 40,000 रू. रिश्वत की मांग कर बताया कि मैंने बीसीएमओ साहब को इस बारे में बता दिया हैं, तब मैंने कुछ ओर कम करने का आग्रह किया तो उसने कहा कि पहले तो आपसे 50,000 रू. की बात हुई थी, फिर भी कोई बात नहीं मैं बीसीएमओ साहब से बात करके कुछ कम करवा दूंगा, आप 30,000 रू. दे देना, फिर मैंने कहा कि इस बारे में साहब से कन्सर्न कर लो, तो उसने कहा कि तीस तक कर दे साहब को कह देता हूं, तीस हजार कर रही हैं, आप ये पैसे जल्दी दो, आज कुछ लाई हो तो दे दो, आज किशोर जी बी.सी.एम.ओ. हैं, उनसे टयूनिंग बढिया हैं, कल को कोई नया बी.सी.एम.ओ. आ गया तो उससे बात बैठे या नहीं बैठे, इसलिए मैं तो कहता हू, जितना जल्दी हो सके मैटर क्लोज करो। जिस पर मैंने उनसे आईन्दा कब मिलना होगा, के बारे में पूछा तो उसने कहा कि शुक्रवार को वापस आऊंगा और शनिवार, रविवार तक यहीं रहूंगा, आप शनिवार को मेरे पास आ जाना, यानि कि वो शनिवार दिनांक 02.08.2025 को मेरे से 30,000 रू. रिश्वती राशि प्राप्त करेगा। और परिवादिया अपने बच्चे की देखभाल तथा रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु पीछे रूकना चाहती थी, जिस पर निर्देशानुसार परिवादिया को पीछे छोड़कर हाजिर आया हूं। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिकॉर्डिंग वार्तालाप सुना गया तो श्री बांकाराम कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होकर आरोपित श्री गजेन्द्र कनिष्ठ सहायक द्वारा डॉ. किशोर बी.सी.एम.ओ. के लिए परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. से 30 हजार रू. रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर उक्त प्रगति के संबध में श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जोधपुर से हालात जरिये दूरभाष निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही के संबध में दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाकर आरोपित कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध दिनांक 02.08.2025 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के स्वीच ऑफ कर मन् ए.एस.पी. की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। दिनांक 31.07.2025 को दिन में परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत कराया कि आज आरोपित श्री गजेन्द्र कनिष्ठ सहायक ने मुझे वॉट्सऐप मैसेज कर कल दिनांक 01.08.2025-शुक्रवार को Early in the morning ही 30,000 रू. रिश्वती राशि के साथ बी.सी.एम.ओ. कार्यालय गडरा रोड़ में बुलाया हैं, उसने कहा कि बाद में भीड़ हो जायेगी, आप जल्दी 900 ए.एम. तक मेरे पास आकर पैसे दे देना, मैं आज या दो दिन शनि-रवि की छुट्टियों में बैठकर आपका काम करके बी.सी.एम.ओ. साहब से बिल पास करवाकर आपके बकाया पांच माह की सैलेरी आपके खाते में ऑनलाईन जमा करवा दूंगा, जिस पर परिवादिया को रिश्वती राशि की व्यवस्था बाबत् कहा जाने पर उसने रिश्वती राशि की व्यवस्था होना बताया, जिस पर ट्रेप कार्यवाही के आयोजन हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 02.08.2025 के बजाय आरोपित द्वारा परिवादिया से की गई वॉट्सएप वार्तानुसार एक दिन पहले दिनांक 01.08.2025 को ही ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर उक्तानुसार निर्धारित तिथि को प्रातः 0600 ए.एम. पर मय रिश्वती राशि के एसीबी कार्यालय बाड़मेर में उपस्थित होने बाबत् परिवादिया से कहा जाने पर उसने अपने छोटे बच्चे की वजह से इतना जल्दी बाड़मेर आने में असमर्थता जाहिर की, जिस पर परिवादिया को गडरा रोड़ से आगे या पीछे करीबन 5-7 की दूरी पर मय

रिश्वती राशि के ट्रेप दल से मिलने बाबत् हिदायत कर आवश्यक समझाईश की गई। तत्पश्चात उक्त कार्यवाही हेतु नगर परिषद बाड़मेर से दो स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोजकुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राणमल सोनी कनिष्ठ सहायक का मनोनयन करवाकर ब्यूरो कार्यालय में तलब कर दोनों गवाहान का पूर्ण परिचय प्राप्त कर उन्हें ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर इन्हें दूसरे ही दिन दिनांक 01.08.2025 को प्रातः 0630 ए.एम. पर पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने बाबत् मुनासिफ हिदायत कर फॉरिक किया गया। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही की तैयारी हेतु मालखाना प्रभारी श्री सुराब खां हैड कानि. मय स्टाफ को भी आवश्यक हिदायत कर नियत समय पर उपस्थित आने बाबत् निर्देशित किया गया । साथ ही प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में परिवादिया सुमन ए.एन.एम. महिला होने से फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एंव दृष्टान्त आदि के दोरान परिवादिया की जामा तलाशी एंव तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान सहयोग हेतु एक महिला कानि. की आवश्यकता होने से श्री मगन खां उप निरीक्षक पुलिस, कार्यवाहक संचित निरीक्षक, रिजर्व पुलिस लाईन बाड़मेर से जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर उनके द्वारा श्रीमति रजनी चौधरी महिला कानि. नं. 1613 को मामुर करने के फलस्वरूप उक्त महिला कानि. से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर वक्त 0630 ए.एम. ब्यूरो कार्यालय पंहुचने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 01.08.2025 को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशानुसार दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राणमल सोनी कनिष्ठ सहायक, महिला कानि. श्रीमति रजनी चौधरी तथा ब्यूरो स्टाफ प्रातः नियत समय पर चौकी हाजा पर उपस्थित आये, प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यूरो स्टाफ एंव स्वतन्त्र गवाहान को समझाईश की गई। प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में राजकीय वाहन के अलावा एक अन्य वाहन की आवश्यकता होने से एक प्राईवेट वाहन स्कॉर्पियो की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. को गडरा रोड़ से 05 कि.मी. आगे ग्राम बांडासर की सरहद में आम रोड़ पर स्थित नव-निर्मित राजकीय छात्रावास के पास मय रिश्वती राशि 30,000 रू. के उपस्थित मिलने बाबत् जरिये मोबाईल पाबन्द किया जाकर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री सोहनराम हैड कानि. 33, श्री मिश्रीमल हैड कानि. 38, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री लालाराम कानि. 328, श्री शोभसिंह कानि. नं. 35, श्री कंवराराम कानि. नं. 37, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584, श्रीमति रजनी चौधरी महिला कानि. नं. 1613 व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोजकुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राणमल सोनी कनिष्ठ सहायक के चौकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन स्कार्पियो से प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री तथा आवश्यकतानुसार एक कागजी पुड़िया में फिनोफ्थलीन पाऊडर अलग से लिया जाकर श्री मनोहर कानि. नं. 39 को सुपुर्द करवाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्र. नि.ब्यूरो बाड़मेर से रवाना होकर गडरा रोड़ कस्बे को पार कर आगे स्थित ग्राम बांडासर की सरहद में नव-निर्मित राजकीय छात्रावास के पास पंहुचा, जहां पूर्व हिदायतानुसार परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. अपने जानकार श्री पाबूराम के साथ पाबूराम के निजी वाहन स्वीफ्ट डिजायर नं. 25 BH 1739H के उपस्थित मिली, जिन्होनें आरोपित को दी जाने वाली रिश्वती राशि 30,000 रू. तथा आरोपित द्वारा उसकी पै-मेनेजर व एस.एस.ओ. आई.डी. दुरूस्त करने हेतु तलब सुदा नियक्ति व ज्वाईनिंग आदेश, पेन कार्ड, बैंक खाता की पास बुक एंव अन्य आवश्यक दस्तावेजात की प्रतियां साथ में लेकर आना बताया, जिस पर उन्हें हमराह लेकर पास में ही स्थित एक किसान की ट्यूबवैल पर पंहुच वहां मौजूद व्यक्ति से असल पहचान छुपाते हुए कोई राजकीय सर्वे दल का होना बताकर उससे लेपटॉप एंव प्रिन्टर के संचालन हेतु कुछ समय तक ट्यूबवैल पर स्थित लाईट (विद्युत) का उपयोग करने की ईजाजत लेकर उसे अपने खेत में कृषि कार्य करते रहने हेतु फॉरिक किया गया। तत्पश्चात हाजिर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री मनोजकुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राणमल सोनी कनिष्ठ सहायक का हाजिर परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादिया द्वारा दिनांक 25.07.2025 को कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के सत्यापन संबधित महत्वपूर्ण अंशो/वाक्यांश को टेप रिकॉर्डर ऑन व रिवर्स-फॉरवर्ड कर सुनाया गया। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादिया से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोजकुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राणमल सोनी कनिष्ठ सहायक के रूबरू परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. से आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादिया ने आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 60 नोट, कुल राशि 30,000 रू0 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रूबरू गवाहान पेश किये। जिस पर चौकी हाजा से वक्त रवानगी अलग से श्री मनोहर कानि. 39 के साथ लाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर की पुड़िया सहित कानि. मनोहर से परिवादिया तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राणमल सोनी कनिष्ठ सहायक के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया प्रदर्शित करवाई जाकर ट्यूबवैल पर मौजूद विद्युत कनेक्शन से हमराह लाये गये लेपटॉप एंव प्रिन्टर को जोड़कर इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर फर्द की प्रति का प्रिण्ट आउट निकाला जाकर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। हमराह जाब्ता की

महिला कानि. श्रीमति रजनी चौधरी से परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. की जामा तलाशी लिवाई जाकर फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि उसके पास मौजूद उसके हैण्ड बैग में रखवाई गई, साथ ही आरोपित द्वारा परिवादिया से मंगवाये गये दस्तावेजात परिवादिया के हैण्ड बैग के दूसरे पार्ट/जेब में रखवाये जाकर दोनों पार्ट की चैन/जिप बंद करवाई जाकर रिश्वती राशि लेन-देन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों एंव बाद लेन-देन ट्रेप दल किये जाने वाले गोपनीय ईशारे बाबत् परिवादिया को मुनासिब हिदायत की गई। बाद दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर मय पुड़िया को कानि. मनोहर से ही वहीं मौके पर नष्ट करवा जाकर उसे परिवादिया, गवाहान एंव मन् एएसपी मय हमराहियान के साथ राजकीय वाहन के अलावा ब्यूरो दल के साथ मौजूद एक अन्य प्राईवेट वाहन में मौजूद रहने एंव एस.ओ. के विरूद्ध रिश्वती राशि बरामदगी एंव धोवन कार्यवाही तक दल से पृथक रहने बाबत् निर्देशित किया गया। परिवादिया के साथ आये उसके जानकारी श्री पाबूराम को मय उसके वाहन स्वीफ्ट डिजायर नं. 25 BH1739H के वहीं से फॉरिक किया गया। बाद मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान परिवादिया को हमराह लेकर ग्राम सरहद बांडासर से रवाना होकर कस्बा गडरा रोड़ में स्थित आरोपी के कार्यालय के पास पंहुचा, हमराह जाब्ता के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 के माध्यम से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा नये मेमोरी कार्ड के ऑन कर परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. को सुपुर्द कर बाद मुनासिब हिदायत के रिश्वती राशि लेन-देन हेतु आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक से सम्पर्क करने/मिलने हेतु रवाना राजकीय अस्पताल गडरा रोड़ में स्थित आरोपित के कार्यालय कक्ष की तरफ किया गया तथा मन् ए.एस.पी. मय शेष समस्त हमराहियान एंव वाहनों के वहीं आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादिया के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ समय बाद परिवादिया श्रीमति सुनीता ए.एन.एम. बिना कोई ईशारा किये आरोपित के कार्यालय व हॉस्पीटल परिसर से बाहर निकलकर बाड़मेर की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ रवाना हो गई, जिससे कस्बा गडरा रोड़ में ही गोपनीय रूप से सम्पर्क कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर हमराह जाब्ता के श्री बांकाराम कानि. सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया। पूछने पर परिवादिया ने बताया कि आरोपी अपने कार्यालय कक्ष में नहीं मिला, जिस पर अन्य स्टाफ एंव मेरे स्तर पर मालुमात किया तो आरोपी इस वक्त अपने मूल पदस्थापन स्थान बी.सी. एम.ओ. कार्यालय शिव में मौजूद हैं, जो आज गडरा रोड़ नहीं आयेगा, उसके कल गडरा रोड़ आने की संभावना हैं। जिस पर हमराह जाब्ता के अन्य प्राईवेट वाहन में मौजूद श्री मनोहर कानि. की तलबी कर उसे परिवादिया के पास मौजूद फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 30,000 रू. दिलवाये जाकर इस राशि को कागज के एक लिफाफे में रखवाकर प्रभारी मालखाना श्री सुराब खा हैड कानि. नं. 97 के माध्यम से सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। बाद मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने हेतु परिवादिया को हमराह लेकर सभी रवाना होकर गडरा रोड़ में एक गोपनीय स्थान पर पंहुच ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही प्रारंभ की जाकर परिवादिया श्रीमति सुनीता ए.एन.एम. एवं आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक (लेखा शाखा), कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, शिव, अतिरिक्त लेखा कार्य संचालन, कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, गडरा रोड़, जिला बाड़मेर के मध्य दिनांक 29.07.2025 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 4 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादिया श्रीमति सुनीता ए.एन.एम. के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मिश्रीमल हैड कानि. के सहयोग से श्री बांकाराम कानि. द्वारा कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित कनिष्ठ सहायक के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड Master 4 GB में रिकॉर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री लालाराम कानि. नं. 328 द्वारा हैश वैल्यु निकालकर फर्द में अंकित की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड Master 4 GB को मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "डी" अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादिया श्रीमति सुनीता ए.एन.एम. द्वारा की गई। बाद परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. को प्रकरण में पूर्ण रूपेण गोपनीयता रखने एंव आरोपित द्वारा रिश्वती राशि हेतु उनसे सम्पर्क करने या गडरा रोड़ स्थित बी.सी.एम.ओ. कार्यालय में उपस्थित आने पर अविलम्ब मालुमात कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने बाबत् मुनासिब हिदायत दी जाकर बमुकाम गडरा रोड़ से ही फॉरिक किया गया। मन् एएसपी मय अन्य शेष समस्त हमराहियान के गडरा रोड़ से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पंहुच दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राणमल सोनी कनिष्ठ सहायक तथा महिला कानि. श्रीमति रजनी चौधरी को प्रकरण में गोपनीयता बनाए रखने एंव तलबी पर अविलम्ब पुनः उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर फॉरिक किया गया। इसी प्रकार ब्यूरो स्टाफ को भी निर्देशित किया गया। ट्रेप बॉक्स, मेमोरी कार्ड, सीडी, फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि एंव अन्य सामग्री, उपकरण, दस्तावेजात, इत्यादि को सुरक्षित कार्यालय मालखाना में रखवाया गया। दिनांक 06.08.2025 को परिवादिया श्रीमति सुनीता ए.एन.एम. से जरिये मोबाईल सम्पर्क हुआ, जिसने बताया कि दिनांक 01.08.2025 से आज दिनांक तक आरोपित

श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक ब्लॉक कार्यालय गडरा रोड़ में नहीं आया हैं, अपने मूल पदस्थापन ब्लॉक कार्यालय शिव में ही नियमित बैठता हैं, यहां गडरा रोड़ में आने पर या इससे पूर्व मेरे से उसके द्वारा रिश्वती राशि हेतु सम्पर्क करने पर अविलम्ब अवगत करवा दूंगी, साथ ही परिवादिया ने बताया कि आगामी दिनों में मैं बाहर घूमने जाउंगी, वापस आने पर स्वयं आपसे सम्पर्क कर लूंगी। जिस पर परिवादिया को प्रकरण के संबध में आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 13.11.2025 को तलब सुदा परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आई व बताया कि आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक दिनांक 01.08.2025 के बाद काफी दिनों तक ब्लॉक कार्यालय गडरा रोड़ में उपस्थित नहीं आया, जिस पर उसको माह अगस्त 2025 के अन्तिम सप्ताह में ब्लॉक कार्यालय गडरा रोड़ के अतिरिक्त कार्यभार से विभाग द्वारा मुक्त कर दिया गया, जिस पर उसके द्वारा मेरे से तय सुदा रिश्वती राशि के लेन-देन हेतु कोई सम्पर्क नहीं किया गया, एंव मेरे द्वारा सम्पर्क का प्रयास किया जाने पर उसके द्वारा कोई रेस्पोन्स नहीं दिया गया, इसलिए मैंने पुनः एसीबी कार्यालय में सम्पर्क नहीं किया। अब चूंकि उसके पास ब्लॉक कार्यालय गडरा रोड़ का कोई कार्य नहीं हैं, लिहाजा अब अग्रिम लेन-देन कार्यवाही होना सम्भव नही हैं। इसलिए मेरे द्वारा इस कार्यवाही हेतु पूर्व मे दी गई रिश्वती राशि 30,000 रूपये मुझे वापिस सुपुर्द किये जावे। मुझे यहां से एसीबी द्वारा कई बार सम्पर्क कर बुलाया गया किन्तु मैं मेरे आवश्यक कार्य में व्यस्त होने से आज तक उपस्थित नहीं आ सकी। अब फॉरिक होकर उपस्थित आई हू। जिस पर श्री बांकाराम कानि. नं. 584 (कार्यवाहक मालखाना प्रभारी) के माध्यम से दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोजकुमार कनिष्ठ सहायक व श्री राणमल सोनी कनिष्ठ सहायक नगर परिषद बाड़मेर की तलबी करवाकर रूबरू गवाहान परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं होने से जमा रिश्वती राशि पुनः लौटाने बाबत् एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, जो गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा पढने हेतु दिया जाकर इस पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात गवाहान के रूबरू श्री बांकाराम कानि. नं. 584 के माध्यम से ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखी हुई रिश्वती राशि पॉच-पॉच सौ रूपये के 60 नोट, कुल राशि 30,000 रूपये के प्रत्येक नोट पर लगे फिनोफ्थलीन पाऊडर को हटवाकर सभी नोट साफ करवाये जाकर उक्त राशि परिवादिया सुनीता ए.एन.एम. को पुनः सुपुर्द की जाकर इस बाबत प्राप्ति रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद गवाहान व परिवादिया को फॉरिक कर गन्तव्य के लिए रूखस्त किया गया। प्रकरण हाजा में रिश्वती राशि मांग सत्यापन के दिन दिनांक 29.07.2025 को भोजनावकाश के बाद कार्यालय हाजा के श्री बांकाराम कानि. नं. 584 द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इंस्ट्रॉल सुदा मेमोरी कार्ड के परिवादिया श्रीमति सुनीता ए.एन.एम. को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु आरोपित श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक के पास कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, गडरा रोड़ में भेजा गया था, चूंकि भोजनावकाश से पूर्व कार्यालय में ब्लॉक के समस्त स्टाफ की मीटिंग थी, मीटिंग में ब्लॉक के विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रों से स्टाफ आया हुआ होने से वहां कार्यालय में काफी भीड़-भाड़ थी, परिवादिया को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द करने के करीबन सवा घण्टे बाद रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की रिकॉर्डिंग कर वो वापस बांकाराम कानि. के पास आई। इस दौरान रिकॉर्डिंग वार्ता का कुल समय 011153 (01 घण्टा 11 मिनट 53 सैकिण्ड) रहा। इनमें से 0000 से 5900 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद परिवादिया आरोपित श्री गजेन्द्रसिंह से मिलकर वार्ता करती हैं, यानि कि लगभग एक घण्टा तक की रिकॉर्डिंग के दौरान परिवादिया का आरोपित से कोई सम्पर्क नहीं होता हैं, जबकि इस दौरान वॉयस रिकॉर्डर ऑन था, चूंकि इस दौरान कार्यालय में अन्य स्टाफ की भीड़-भाड़ होने से परिवादिया को आरोपित से अकेले में मिलकर बात करने का कोई मौका नहीं मिला, इस दौरान वॉयस रिकॉर्डर ऑन रहने से उसमें वहां मीटिंग में आये हुए स्टाफ एंव आने-जाने वाले अन्य व्यक्तियों की आपसी रूटिन बातें एंव घटनाक्रम आदि की रिकॉर्डिंग होती रही, जो प्रकरण से संबधित नहीं हैं। 59 मिनट तक वॉयस रिकॉर्डर चलने के बाद परिवादिया आरोपित के कार्यालय कक्ष में प्रवेश कर उनसे वार्ता करती हैं, एंव बाद वार्ता वहां से निकलकर गोपनीय स्थान पर खड़े कानि. बांकाराम के पास पंहुच उन्हें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द करती हैं, जिनके द्वारा वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा जाता हैं, इस दौरान कुल लगभग 12 मिनट का समय लगता हैं, एंव यही 12 मिनट की वार्ता एंव घटनाक्रम ही प्रकरण से संबधित हैं, जिनका सम्पूर्ण विवरण फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन में अंकित हैं, उक्त समय के दोरान की मुर्तिबा फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स में परिवादिया एंव आरोपी की वार्ता ही अंकित हैं, किसी अन्य व्यक्ति के हवाले से कोई तथ्य अंकित नहीं हैं एंव न ही रिकॉर्डिंग वार्ता में आया हुआ हैं। प्रारंभ से लेकर 59 मिनट तक की रिकॉर्डिंग वार्ता एंव घटनाक्रम का न तो प्रकरण से कोई संबध हैं एंव न ही परिवादिया द्वारा उक्त घटनाक्रम एंव वार्ताओं की तस्दीक की जा सकती हैं कि तत्समय किसके द्वारा किसके संदर्भ में क्या बोला गया था, चूंकि वो स्टाफ एंव अन्य व्यक्तियों की आपस में हुई रूटिन बातें थी, इसलिए 59 मिनट बाद जब परिवादिया एंव आरोपी आपस में मिलकर वार्ता प्रारंभ करते हैं, वहीं से ट्रांसक्रिप्ट प्रारंभ की जाकर वार्ता की समाप्ति तक की मुर्तिब की गई थी। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक (लेखा शाखा), कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, शिव, अतिरिक्त प्रभार लेखा कार्य संचालन, कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, गडरा रोड़, जिला बाड़मेर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादिया सुनीता पुत्री श्री गोरधनराम, जाति परमार, निवासी शहदाद का पार, तहसील गडरा रोड़, जिला बाड़मेर हाल ए.एन.एम. ग्राम शहदाद का पार की माह सितम्बर से दिसम्बर 2024 तक व माह मार्च 2025 सहित कुल पांच महिने की बकाया सैलेरी बनाने की ऐवज में आरोपित लिपिक द्वारा

परिवादिया से 30,000 रू. रिश्वती राशि की मांग करने एंव ब्यूरो कार्यवाही की भनक लगने से ब्लॉक कार्यालय गडरा रोड़ के लेखा शाखा का अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करना पाया जाने से आरोपित श्री गजेन्द्रसिंह कनिष्ठ सहायक के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का जुर्म घटित होना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया हैं। अतः आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री नाथूसिंह, जाति रावणा राजपूत, उम्र 40 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी वार्ड नं. 34, नेहरू नगर, बाड़मेर, हाल कनिष्ठ सहायक (लेखा शाखा), कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, शिव, अतिरिक्त प्रभार लेखा कार्य संचालन, कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, गडरा रोड़, जिला बाड़मेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (नरेन्द्रकुमार) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री नाथूसिंह, जाति रावणा राजपूत, उम्र 40 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी वार्ड नं. 34, नेहरू नगर, बाड़मेर, हाल कनिष्ठ सहायक (लेखा शाखा), कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, शिव, अतिरिक्त प्रभार लेखा कार्य संचालन, कार्यालय ब्लॉक चिकित्साधिकारी, गडरा रोड़, जिला बाड़मेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कैलाशदान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 501 पर अंकित है । (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 450-53 दिनांक 06.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAILASH DAN JUGTAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/03/2026 11:59:41

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1986				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)